भारत छोड़ों आन्दोलन एवं अभिजात वर्गः अर्न्तविरोध का एक अध्ययन

डॉ. राघव कुमार*

आधुनिक बिहार के इतिहास में उड़ीसा और छोटानागपुर के साथ बिहार का एक पृथक प्रांत के रूप में 22 मार्च 1912 को निर्माण किया जाना बिहारवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बिहार के निर्माण के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अपनी पहचान बनी और नये बिहार ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों में उल्लेखनीय ढंग से भाग लेना शुरू किया। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में खासकर 1912–1939 के दौरान समाज के विभिन्न तबकों ने भागीदारी निभायी, लेकिन नेतृत्व मुख्य रूप से अभिजात वर्ग–धनी किसानों, महाजनों, धनी रैयतों, वकीलों एवं शिक्षकों के ही हाथ में रहा। अनेक ऐतिहासिक तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि चाहे चम्पारण सत्याग्रह हो, चाहे असहयोग आंदोलन या यों कहें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इन आंदोलनों को गरीब और खेतिहर मजदूरों से कोई खास लेना देना नहीं था। अगर बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन की संरचना और नेतृत्व के वर्ग चरित्र का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय आंदेालन की प्रक्रियाओं पर अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था। स्वतंत्रता आंदोलन की वाहक कांग्रेस पार्टी की नेतृत्वकारी समितियों की जातिगत संरचना को यदि स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न जातियों का पैमाना माना जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि पिछड़ी जातियाँ इस आंदोलन से कमोवेश अलग–थलग ही रही थी फिर उनकी भागीदारी काफी कम थी।

गौरतलब है कि राजनीतिज्ञों की इस अभिजात श्रेणी का केन्द्रीय लक्ष्य राजनीतिक सत्ता के संगठनों में अपना स्थान बनाना था–सत्ता प्राप्त करना और उसे बरकरार रखना। उनके नारे, उनकी नीतियाँ और उनकी सारी कार्यवाहियाँ इसी लक्ष्य के इर्द–गिर्द घूमती थी। बहरहाल, राष्ट्रीय आंदोलन ने बिहार में नयी हलचल पैदा कर दी थी। आंदोलन की नयी शक्तियाँ उभर रही थी। जमींदार विरोधी रैयत आंदोलन और राजनीतिक क्रियाकलापों में पिछड़ी जातियों की भागीदारी बढ़ने लगी। इसी कड़ी में बिहार में 1928 में किसान सभा का गठन हुआ और राज्य में नये तरह का किसान आंदोलन शुरू हो गया था।

ध्यातव्य है कि किसानों की माँग को उठाने में कांग्रेस अभिजात वर्गीय दबाव के चलते बार–बार असफल रही थी। फलस्वरूप किसानों का मोहभंग हुआ और 1920 के मध्य में उन्होंने नई विचारधाराओं की खोज आरंभ कर दी थी। हालाँकि 1920 में स्वामी विद्यानंद ने जमींदारी समाप्त करने की माँग उठाई। लेकिन 1920 के अंत तक स्वंय विद्यानंद का ध्यान भी चुनावी राजनीति में बँट गया और उस साल के अंत तक विशाल दरभंगा राज की जागीरों में जो सशक्त कृषक आंदोलन विकसित हो गया था, वह समाप्त हो गया। बिहार कांग्रेस के नेताओं का रवैया दरभंगा राज के लिए बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने विद्यानंद द्वारा बारंबार समर्थन के लिए की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 1920 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में राजेन्द्र प्रसाद के बल देने पर दरभंगा के किसानों की शिकायतों पर जाँच बिठाने के मुद्दे को ताक पर रख दिया गया।

स्पष्ट है कि कांग्रेस चाहे स्वराजी हो या अपरिवर्तनवादी, उनके जमींदारों अथवा मंझोले जोतधारियों के साथ दृढ़ सम्बंध होते थे, और इस कारण वे किसानों की माँगों के प्रति प्रायः उदासीन रहते थे। यही कारण था कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस का प्रादेशिक नेतृत्व अभिजात वर्गीय दवाब/छोटे जमींदारों के साथ मजबूत सम्बंधों में बंधे होने के कारण लगान की नाअदायगी का आंदोलन चलाने से इंकार कर दिया था।

14 जुलाई, 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य कारिणी समिति की बैठक हुई जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन का शीघ्र अन्त करने का निर्णय लिया गया। वर्धा में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, उस पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में बुलाया गया जहाँ 8 अगस्त, 1942 ई0 को 'भारत छोड़ों' प्रस्ताव पारित किया गया । इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गाँधी जी के नेतृतव में शांतिपूर्ण संघर्ष चलाने का भी निर्णय लिया। गाँधी जी ने 'करो या मरो' का मन्त्र दिया जिसका अभिप्राय या तो भारत को आजाद करना था या उस प्रयास में मर मिटना था।

'भारत छोड़ों' प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद महात्मा गाँधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडु, कस्तूरबा गाँधी, प्यारे लाल, विनोबा भावे, जय प्रकाश नारायण, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह तथा अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा देश भर में वृहत पैमाने पर गिरतारियाँ प्रारम्भ हुई।

*सहायक प्राध्यापक Guest Faculty इतिहास विभाग एम.पी.एस. साईंस कॉलेज,बी.आर. ए.बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

अपनी गिरफ्तारी के समय महात्मा गाँधी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित कर लोगों से अपील की कि लोग अपने को आजाद समझें, पूर्ण हड़ताल तथा अन्य अहिंसात्मक तरीकों से सरकारी प्रशासन को ठप्प कर दें तथा मरकर भी राष्ट्र को जिन्दा रखें। कल–कारखानों, स्कूल तथा कॉलेजों को तब तक बन्द रखें जब तक पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति न हो जाय, सरकार के साथ पूर्णरूप से असहयोग करें, संचार के सभी साधनों को बरबाद कर दें तथा पुलिस को बाध्य करें कि वे सरकारी आदेशों का पालन न करें।

'भारत छोड़ों' आन्दोलन में बिहार का योगदान सर्वोपरि रहा। बिहार में सभी वर्ग के लोगों ने आन्दोलन में समान उत्साह तथा निश्चय के साथ भाग लिया। कांग्रेस के सिद्धांत को नहीं समझने वाले किसान–मजदूर भी इस आन्दोलन में शरीक हुए। बिहार में आन्दोलन की पूरी तैयारी पहले से ही की गयी थी। 15 अप्रैल, 1942 को बिहार प्रदेश काँग्रेस कमिटी की मीटिंग हुई जिसमें काँग्रेस के कार्यक्रमों को नए जोश के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया तथा नयी कार्यकारिणी का गठन करने के लिए अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सहित पुरानी कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य इस्तीफा दे दिए। बिहार प्रदेश काँग्रेस कमिटी ने सभी सदस्यों का इस्तीफा मंजूर कर लिया तथा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को पुनः अध्यक्ष निर्वाचित कर उन्हें नयी कार्यकारिणी समिति बनाने का अधिकार दिया।[1] नयी कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. श्रीकृष्ण सिंह, डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह, राम चरित्र सिंह, राम नारायण सिंह, जगलाल चौधरी, सत्य नारायण सिंह, प्रजापति मिश्र, डॉ0 सैयद महमूद, अब्दुल बारी, श्यामा प्रसाद सिंह, विनोदानन्द झा, शाह उजैर मुनीमी, वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी तथा दीप नारायण सिंह।[2]

गाँधी जी द्वारा भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रस्ताव के पश्चात् बिहार के अभिजात वर्गीय कार्यकत्ताओं ने ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उत्साह के साथ समर्पित भावना से भाग लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा गाँधी और राजेन्द्र प्रसाद के गिरतारी का बिहार के अभिजात वर्गीय लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 9 अगस्त, 1942 को कांग्रेस के कार्यालय की तलाशी ली गई और वहाँ उपलब्ध कागजात जब्त कर लिये गये। संत सेवक प्रसाद, हरवंश सहाय, प्रजापति मिश्र, विश्वनाथ सिंह,अवध बिहारी पाण्डेय, सियाराम ठाकुर आदि अभिजात वर्गीय नेता गिरतार कर लिए गए। उस दिन बिहार में हड़ताल किया गया। इस दौरान बहुत सारे नेताओं की गिरतारी हुई। इसके बावजूद भी आन्दोलन दमित न हो सका।[3] पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराकर भारतीय तरूणों ने ब्रिटिश

सम्प्रभुता का जो जवाब दिया, वह विश्व इतिहास की चिर–स्मरणीय एवं अतुलनीय घटना है। इस घटना में गाँधी के करो या मरो व भारत छोड़ों आन्दोलन न केवल बिहार का वरन् सम्पूर्ण भारत के जन–जन, गाँव–गाँव का लोकप्रिय आन्दोंलन बन बैठा।

गाँधीजी के आह्वान पर बिहार की राजधानी पटना में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने तय किया कि 11 अगस्त, 1942 को पटना सचिवालय पर सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को भेद्य कर विजय पताका निश्चय ही फहरायेंगे। स्वाधीनता प्रेमोन्नत युवकों की टोलियाँ एक तरफ विजय पताका फहराने की तैयारी कर रही थी तो दूसरी तरफ सम्पूर्ण पटना को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सैनिकों के अभेद्य कवच से सुरक्षित किया जा रहा था। सबेरे से ही पुलिस के लाठीधारी एवं सशस्त्र जवान मजिस्ट्रेटों के साथ आदेश की प्रतीक्षा कर ही रहे थे। तभी न्यू कैपिटल की और जुलूसों को बढ़ने से रोकने के लिए बाँकीपुर लॉन के उत्तर–पूर्वी कोने पर जहाँ मेन रोड लोअर रोड (वर्त्तमान में अशोक राजपथ एवं बारीपथ) से मिलती है वहाँ सशस्त्र गोरखा एवं लाठीधारी पुलिस की टुकड़ियाँ तैनात कर दी गयी थी।[4] साढ़े बारह बजे दिन में इस स्थान पर भीड़ एकत्र हो गयी, जिसे छोड़कर घुड़सवार सशस्त्र पुलिस ने उसे लाठी चलाकर पश्चिम की तरफ भगा दिया। गोरखा सशस्त्र पुलिस ने भी दूसरे अन्य लोगों को दूसरी तरफ खदेड़ दिया। लोगों में भारी उत्साह तथा उत्तेजना थी। लाठी या गिरतारी उन्हें रोक नहीं पायी। थोड़ी देर में बाँकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के सामने प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ इकट्ठा हो गयी। इनमें पुलिस द्वारा तितर–बितर किये गये लोग भी आकर मिल गये। 9 लोग गिरतार हुए तथा अनेक लोग घायल हो गये।[5] जन समूह इस बात के लिए कृत–संकल्पित था कि हर हालत में पटना सचिवालय में राष्ट्रीय झण्डा फहराया जायेगा। हजारों व्यक्तियों का हुजूम इसी उद्देश्य से जमा था। दो बजे दिन में पटना सचिवालय के पूर्वी फाटक पर लोग जमा हो गये थे, हालाँकि डेढ़ बजे दिन में ही पटना के जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक और सदर अनुमण्डलाधिकारी शक्तिशाली पुलिस दस्ता के साथ उपस्थित हो चुके थे। लगभग 2:15 बजे सचिवालय के पूर्वी फाटक पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया। उसके बाद लगभग ढाई घंटे तक सचिवालय परिसर में प्रवेश करके सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के लिए भीड़ आगे बढ़ती रही और अन्ततः 4:57 मिनट पर जिला मजिस्ट्रेट ने आरक्षी महानिरीक्षक से परामर्श कर गोली चलाने का आदेश दिया। गोरखा घुड़सवार पुलिस द्वारा 13 या 14 राउण्ड गोली चलाने से 7 छात्र घटनास्थल पर ही शहीद हो गये और लगभग 25 गंभीर रूप से घायल हो गये। कुछ को सामान्य चोटें आई। घायलों को मेडिकल

कॉलेज अस्पताल पहुँचा दिया गया। सातों शहीद जो सभी अभिजात वर्ग से आते थे उनके नाम इस प्रकार हैं–

1. उमाकान्त प्रसाद सिन्हा वल्द राम कुमार सिन्हा, ग्राम–नरेन्द्रपुर, डाकघर–हुसेनगंज, थाना–दरौली, जिला–सारण (राममोहन राय सेमिनरी की ग्यारहवीं कक्षा का छात्र)
2. रामानंद सिंह वल्द लक्ष्मण सिंह, ग्राम–शहादत नगर, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना (राममोहन राय सेमिनरी, पटना की ग्यारहवीं कक्षा का छात्र)।
3. सतीश प्रसाद झा वल्द श्री जगदीश प्रसाद झा, ग्राम–खड़हरा, थाना–बाँका, जिला–भागलपुर (पटना कॉलेजिएट स्कूल की ग्यारहवीं कक्षा का छात्र)।
4. जगपति कुमार वल्द श्री सुखराज बहादुर, ग्राम–खराठी, थाना–ओबरा, जिला–गया (बी.एन.कॉलेज के द्वितीय वर्ष का छात्र)।
5. देवीपद चौधरी वल्द देवेन्द्र नाथ चौधरी, ग्राम– जमालपुर, थाना–विश्वनाथ, जिला–सिलहट (मिलर हाई स्कूल के नवम् कक्षा का छात्र)।
6. राजेन्द्र सिंह वल्द श्री शिवनारायण सिंह, ग्राम–बनवारी चक, थाना–सोनपुर, जिला–सारण (पटना हाई स्कूल के ग्यारहवीं कक्षा का छात्र)।
7. राम गोविन्द सिंह वल्द देवकी सिंह, ग्राम–दशरथा, थाना–फुलवारी, जिला–पटना (पुनपुन हाई स्कूल की ग्यारहवीं कक्षा का छात्र)

1942 के 'करो या मरो' आन्दोलन के प्रेरणा एवं प्रतीक स्रोत के रूप में ग्यारह अगस्त की यह घटना बिहार ही नहीं वरन् पूर्ण राष्ट्र के युवकों को उसी उमंग के साथ सहभागी बना दी। इस परिस्थिति में बिहार में एक जनव्यापी विप्लव फूट पड़ा और हजारों की संख्या में छात्र, शिक्षक, युवक, ग्रामीण किसान आदि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हिंसात्मक रूप से सड़कों पर उतर आये। बिहार की राजधानी पटना में राम मोहन राय सेमिनारी के छात्रों एवं शिक्षकों ने शोकसभा की तथा यह प्रस्ताव स्वीकार किया–'शिक्षकों एवं छात्रों की यह सभा अपने दो वरीय एवं प्रिय छात्र, उमाकान्त सिन्हा और रामानंद सिंह की अत्यन्त करूण स्थिति में मृत्यु पर शोकाकुल है एवं उनके माता–पिता तथा सगे सम्बन्धियों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है।

12 अगस्त को पटना में हड़ताल रही। पटना मेडिकल कॉलेज परिसर से सात शहीदों के शव के साथ विराट जुलूस बाँसघाट गया।इस घटना के विरोध में दुकानें बन्द रखी गयी तथा रिक्शा एवं घोड़ागाड़ियाँ नहीं चली। कई जुलूसों में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इसी दिन प्रातः बम्बई से पटना लौटते ही बिहार

प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव श्री सत्य नारायण सिंह तथा सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री महामाया प्रसाद सिन्हा गिरतार कर लिये गये। इसी दिन दोपहर में पटना उच्च न्यायालय से अधिवक्ताओं–कर्मचारियों की ओर से जुलूस निकाला गया। उस दिन हाई कोर्ट में एकाधिक ही अधिवक्ता उपस्थित थे। श्रीमती धर्मशीला लाल और श्री गोपाल प्रसाद (बेरिस्टर द्वय) अपने हाथों में कांग्रेस का झण्डा लिये जुलूस में सम्मिलित हुए थे। श्रीमती लाल को गिरतार करके जिलाधीश के पास ले गया पर जिलाधिकारी के आदेश से उन्हें छोड़ दिया गया। श्री गोपाल प्रसाद ने युद्ध समिति की सदस्यता से त्याग–पत्र दे दिया।

पटना में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार बिहार के विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता संग्राम का जन–व्यापी संघर्ष आरम्भ हो गया। बिहार के जिन स्थानों पर पटना सचिवालय गोलीकाण्ड के बाद संघर्ष हुए वहाँ टेलीफोन के खंभे उखाड़ फेंकना, रेलवे लाइन तोड़ डालना, थाना, कचहरी, जेल एवं सरकारी संस्थाओं को जलाना एवं कागजातों को कब्जे में रखना–प्रमुख कार्यक्रम के रूप में थे, जिनका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की शक्ति अंग्रेजों को जताना, निर्भीक बनाना तथा अंग्रेजों का एक स्थान से दूसरे स्थान का संपर्क बाधित कर देना था। उन्हें यह भी बताना कि यदि जनता निःशस्त्र भी जान लेने और देने पर उतारू हो जाएगी तो कोई भी शक्ति उसके उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है।

बिहार के अन्य क्षेत्रों में 12 अगस्त से जनता का आक्रोश हिंसा की कार्रवाइयों में फूट पड़ा था।[6] मुंगेर में शिक्षा संस्थाओं एवं मुंगेर कोर्ट के फाटक पर धरना दिया जा रहा था।धरना देनेवालों को लाठीधारी पुलिस ने तितर–बितर किया। 13 अगस्त को प्रान्त भर में अनेक स्थानों पर रेल की पटरियाँ उखाड़ने एवं तार काटने की वारदातें होती रही।

भागलपुर जिला के भीतरी इलाकों में एवं जिला मुख्यालय में 12 अगस्त को अनेक जुलूसें निकाली गई। सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराये गए तथा हड़ताल रहीं। विशेष करके जनता का ध्यान स्टेशन, डाकखाना और थाना पर था। 13 अगस्त के तीसरे पहर हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी तथा एक अन्य महिला बंदी को हजारीबाग से भागलपुर सेन्ट्रल जेल ले जाया जा रहा था। उन्हें नाथनगर में एक भीड़ ने पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया और एक जुलूस में भागलपुर ले आई।[7] श्रीमती सरस्वती देवी ने लाजपत पार्क में एक उत्तेजनापूर्ण भाषण किया। 14 अगस्त को जब दोनों महिलाएँ अनुमंडलाधिकारी की कचहरी में प्रवेश कर रही थी तो उन्हें फिर से गिरतार करके सेन्ट्रल जेल पहुँचा दिया गया।

संथालपरगना जिला में पंडित विनोदानन्द झा के नेतृत्व में देवघर में 11 अगस्त को एक जुलूस निकाली गई। दिन भर नगर में हड़ताल रही। 12 को एक भीड़ ने कचहरी भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की पर पुलिस ने उसे तितर–बितर कर दिया।[8]

12 अगस्त से प्रान्त भर में आन्दोलन एक जगह से दूसरी जगह फैलता जा रहा था। जनता में उत्साह एवं उत्तेजना थी। कुछ काल के लिए सरकारी व्यवस्था लगभग ठप पड़ी हुई थी एवं पुलिस अपने–अपने मुख्यालयों में जन–उत्तेजना की उचित–अनुचित अभिव्यक्ति की जैसे मूक दर्शक बनी हुई निष्क्रिय बैठी हुई थी। छपरा टाउन हॉल में 11 अगस्त को एक सभा हुई। इसमें मध्यम वर्गीय नेता श्री हरिनारायण महतो और श्री जगन्नाथ सिंह ने सचिवालय गोली कांड की निन्दा की। छपरा शहर में 12 को हड़ताल रही। कलक्टरी, डाक–घर और कचहरी स्टेशन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिय गये।

मुजफ्फरपुर में 12 अगस्त को रेल की पटरियाँ उखाड़ने, तार काटने सड़कों एवं पुलों को ध्वस्त करने की घटनाएँ बराबर हो रही थी। छात्रों ने जेल के फाटक पर प्रदर्शन किया। एक जुलूस जज की कचहरी, बार लाइब्रेरी और सदर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मोखतारखाना और थाना की तरफ गई। थाना के समीप पहुँचने पर पुलिस ने लाठी चलाकर उसे तितर–बितर कर दिया। छात्रों की एक जुलूस ने सीतामढ़ी स्टेशन के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। एक अन्य जत्था ने सीतामढ़ी थाना और डाकखाना पर झंडा फहरा दिया। मुजफरपुर के छात्रों की एक भीड़ पर पुलिस ने लाठी चलाई और उसे घोड़सवार सशस्त्र पुलिस ने तितर–बितर किया।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार के अभिजात वर्गीय नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं द्वारा 1942 के आन्दोलन को सर्वव्यापी तथा लोकप्रिय बना दिया गया । बिहार में चल रहे आन्दोलन की गति की तीव्रता से बिहार सरकार ही नहीं भारत सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि भले ही वे इस बार इस आंदोलन को दमित कर दिए हैं लेकिन हम यहाँ अधिक दिनों तक राज नहीं कर सकते हैं। बिहार के अभिजात वर्ग ने सुसंगठित और दृढ़तापूर्वक आन्दोलन में प्रशंसनीय भूमिका का निर्वाह किया। अनेक डाकखाना एवं रेलवे स्टेशन आन्दोलन के क्रम में लोगों के निशाने पर रहा। तार और टेलीफोन के लाइन एवं खंभों को तोड़ा गया। इस प्रकार संचार व्यवस्था को यहाँ के अभिजात वर्गीय नेताओं के नेतृत्व में कार्यकत्ताओं ने निष्क्रिय कर दिया। सड़क, पुल और रेल लाइन भी बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त कर दिए गए। सरकार ने निष्ठुरतापूर्वक इस आन्दोलन को दबाया।

संदर्भ सूची

1. डॉ. बी. पट्टाभिसितारमैया, हिस्ट्री ऑफ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाग–1, पृष्ठ–346
2. विजेन्द्र कुमार (2007), पृष्ठ– 87
3. द सलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी, मार्च–जून 1930, पृष्ठ–184
4. छविनाथ पाण्डेय, बिहार में राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति, राजेन्द्र अभिनंदन ग्रंथ, पृष्ठ–118
5. छविनाथ पाण्डेय, बिहार में राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति, राजेन्द्र अभिनंदन ग्रंथ, पृष्ठ–119
6. डॉ. के.के. दत्त (1998), पृष्ठ–41
7. उपरोक्त, पृष्ठ–59
8. उपरोक्त, पृष्ठ–123